झारखंड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
(उप निदेशक कल्याण कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची)

नामांकन सबंधी सूचना वर्ष–2026–27

दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित निम्न अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति आवासीय विद्यालयों में वर्ष 2026–2027 के रिक्ति के अनुसार वर्ग प्रथम में नामांकन हेतु इच्छुक छात्र/छात्राओं से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 16.02.2026 तक आमंत्रित किये जाते हैं।

दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची अन्तर्गत संचालित विद्यालय :–

राँची–
अनुसूचित जाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय, कमड़े।
अनुसूचित जाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय, बुण्डू।
टाना भगत अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय, सोनचीपी।
अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय,बारीडीह, रॉची।
अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, तमाड़।
अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय, अमनबुरू।
अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय, ओरमांझी पिस्का।

खूँटी–
अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, कुन्दी।
अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय, हूँट,अड़की।
अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय, तपकरा।
अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय, डोम्बारी।
बिरसा आवासीय बालक उच्च विद्यालय, उलीहातु।

गुमला–
अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय, सखुआपानी।
अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय, जोभीपाट।
टाना भगत अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, चापाटोली।
टाना भगत अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय, घाघरा।
अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय, डोकापाट।
अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका मध्य विद्यालय, चौरापाट।
आदिम जनजाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय, जेहनगुटुवा। (एन0जी0ओ0 द्वारा संचालित)
आदिम जनजाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय, महेशपुर, चैनपुर।(एन0जी0ओ0 द्वारा संचालित)
आदिम जनजाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय, तुसगाँव, बिशुनपुर।(एन0जी0ओ0 द्वारा संचालित)

लोहरदगा–
अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय, किस्को।
अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका मध्य विद्यालय, लोहरदगा।
अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय, पे ारार।
अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय, तुयुमुपाट।
टानाभगत अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय, बमनडीहा।

सिमडेगा–
अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय, हाटिंगहोड़े।
अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका मध्य विद्यालय, सेवई।

1. वर्ग प्रथम में नांमाकन हेतु आवेदन प्रपत्र संबंधित विद्यालय से प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है।
2. अनुसूचित जाति के विद्यालय में अस्वच्छ कार्य में लगे परिवार के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत तथा मुसहर एवं भुईंया जाति के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत स्थान नामांकन में सुरक्षित रहेगा। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की सभी उपजातियों के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों में आदिम जनजातियों के लिए नामांकन में 25 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेगा। यदि उक्त कोटि की आरक्षित सीटों के लिए छात्र/छात्राएँ उपलब्ध नहीं होते हैं तो प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण का अनुमोदन लेकर मेधा सूची से ही अन्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति की अन्य उपजातियों के बच्चों/बच्चियों का नामांकन आरक्षित सीट के विरूद्व किया जायेगा।
3. टानाभगत के लिए संचालित विद्यालय (सोनचीपी, बमनडीहा, चापाटोली एवं घाघरा) में टानाभगत के समुदाय के ही आवेदन–पत्र वर्ग प्रथम के लिए विद्यालय में हीं स्वीकार किए जायेंगे।
4. नामांकन हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 16.02.2026 निर्धारित है।
5. वर्ग प्रथम में नामांकन हेतु मौखिक परीक्षा दिनांक 21.02.2026 को सबंधित विद्यालय में प्रातः 11:00 बजे से होगी।
6. नामांकन हेतु चयनित छात्र/छात्राओं की सूची विद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित की जायेगी।
7. नामांकन के समय चयनित छात्र/छात्राओं को आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं बी0 पी0 एल0/आय प्रमाण पत्र एवं टाना भगत आवासीय विद्यालयों के लिए टाना भगत समुदाय का प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. गरीबी रेखा से नीचे आय वाले परिवार के बच्चों को ही नामांकित किया जायेगा इसके लिये बी0 पी0 एल0/ आय प्रमाण की सूची में नाम अंकित होने के आधार पर नामांकन की पात्रता निर्धारित की जायेगी।
9. बिरसा आवासीय उच्च विद्यालय, उलिहातु में प्रथम वर्ग में 40 छात्रों का नामांकन किया जायेगा जिसमें 10 बच्चे उलिहातु ग्राम के एवं 30 बच्चे अड़की प्रखंड के विभिन्न गाँव के होंगे।
10. जिन छात्र/छात्राओं के माता पिता सरकारी सेवा में कार्यरत है उनके बच्चों का नामांकन हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। इस आश्य का घोषणा पत्र आवेदक के माता पिता/अभिभावक के द्वारा आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। असत्य/फर्जी घोषणा देने वाले अभिभावक के विरूद्ध आवश्यक कानुनी कारवाई की जायेगी।
11. चयनित छात्र/छात्राओं को दिनांक– 20.03.2026 तक नामांकन कराना अनिवार्य होगा। प्रतीक्षा सूची से नामांकन– 01.04.2026 तक किया जायेगा।
12. इच्छुक छात्र/छात्राओं का चयन विभाग द्वारा गठित चयन समिति द्वारा करने के उपरान्त चयनित छात्र/छात्राओं के नामांकन हेतु कार्यवाही पंजी सभी सदस्यो से हस्ताक्षर के उपरान्त पंजी उप निदेशक कल्याण, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची को दिनांक 25.02.2026 को उपस्थापित कर अनुमोदन प्राप्त कर लेंगें।

उप निदेशक, कल्याण,
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची।